उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक
प्राधिकरण

UPSIDA

यूपीएसआईडीए ...
A–1/4, लखनपुर
कानपुर–208024
दूरभाष : 258200...
फैक्स : (0512) 25907...
वेबसाईट : www.upsidc.com
ई.मेल : feedback@upsidc.co...

संदर्भ सं0 3896-3102 /यूपीसीडा/आईए/पालिसी वाल्यूम–17 दिनांक 03/9/20

कार्यालय–आदेश

उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की दिनांक 01.08.2019 को आहूत 33वीं बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में प्राधिकरण के समस्त अधिसूचित औद्योगिक विकास क्षेत्रों की विकास योजनाओं में विकसित औद्योगिक/व्यवसायिक–फैसेलिटी/एकल आवासीय/ग्रुप हाउसिंग/संस्थागत उपयोग हेतु आवंटित भूखण्डों की समय विस्तारण नीति के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश सं0 2043–46/एसआईडीसी–आईए/पालिसी वाल्यूम–17 दिनांक 18.12.2018 को एतद्द्वारा निम्नवत् संशोधित किया जाता है:–

(अ) औद्योगिक भूखण्डों हेतु समय विस्तारण नीति:–

1. उपरोक्त सन्दर्भित कार्यालय आदेश दिनांक 18.12.2018 में लागू प्रचलित समय विस्तारण नीति के अनुसार आवंटी/हस्तान्तरी द्वारा 01 वर्ष अथवा 02 वर्ष का समय विस्तारण एक साथ माँगे जाने पर उक्त नीति के प्रस्तर–1 के बिन्दु (क) (ख) एवं (ग) के प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।

प्राधिकरण के अधिसूचित औद्योगिक विकास क्षेत्रों के उपरोक्त के अतिरिक्त आवंटित भूखण्डों के समय विस्तारण नीति एवं औद्योगिक भूखण्डों की हस्तांतरण नीति के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान भी लागू होंगे:–

2. यदि कोई आवंटी/हस्तान्तरी अपनी आवश्यकतानुसार मात्र 03 माह अथवा अधिक के समय विस्तारण हेतु आवेदन करता है तो उसे उपरोक्त सन्दर्भित कार्यालय आदेश दिनांक 18.12.2018 में लागू सुसंगत वार्षिक समय विस्तारण शुल्क के 25 प्रतिशत पर प्रत्येक 03 माह के लिए समय विस्तारण सक्षम अधिकारी द्वारा गुण–दोष के आधार पर प्रदान किया जा सकेगा।

3. किसी भूखण्ड के नियमानुसार हस्तान्तरण हेतु पूर्ण आवेदन पत्र वर्तमान आवंटी को इकाई स्थापना हेतु अनुमन्य/विस्तारित समयावधि की समाप्ति से न्यूनतम 30 दिन पूर्व प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय में प्राप्त होने की दशा में यदि उक्त पूर्ण आवेदन पत्र के सापेक्ष हस्तान्तरण पत्र उपरोक्त अनुमन्य/विस्तारित समयावधि के पश्चात निर्गत होता है, तो हस्तान्तरण तक की अवधि का समय

Scanned with CamScanner

विस्तारण शुल्क नहीं लिया जाएगा। उक्त प्रावधान दिनांक 18.12.2018 के पश्चात निर्गत सभी हस्तान्तरण प्रकरणों पर लागू होगा।

(ब) व्यवसायिक–फैसिलिटी/ग्रुप हाउसिंग/संस्थागत उपयोग हेतु आवंटित भूखण्डों के लिए समय विस्तारण नीति :–

1. प्राधिकरण के पूर्व कार्यालय आदेश सं0 2043–46/एसआईडीसी–आईए –पालिसी वाल्यूम–17 दिनांक 18.12.2018 में वर्णित प्रस्तर 'ग' एवं 'घ' यथावत् प्रभावी रहेगें।

2. प्राधिकरण के अधिसूचित औद्योगिक विकास क्षेत्रों के आवंटित भूखण्डों के समय विस्तारण की नीति एवं औद्योगिक भूखण्डों की हस्तांतरण नीति के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश सं0 2043–46/एसआईडीसी–आईए –पालिसी वाल्यूम–17 दिनांक 18.12.2018 में इंगित प्राविधानों के बिन्दु सं0–2 के प्रस्तर–'क' एवं 'ख' को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:–

क. व्यवसायिक–फैसिलिटी/ग्रुप हाउसिंग/संस्थागत (शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक) उपयोग हेतु भविष्य में आवंटित किए जाने वाले भूखण्डों में आवंटन की दिनांक से कुल 05 वर्ष का समय भूखण्ड का अनुमन्य उपयोग करने हेतु दिया जाए। तत्पश्चात 01 वर्ष समय विस्तारण हेतु देय समय विस्तारण शुल्क की दर प्रश्नगत भूखण्ड हेतु अनुमोदन की दिनांक को प्रचलित प्रीमियम दर(सम्बन्धित भूखण्ड के भूउपयोग के अनुसार लागू) का 10 प्रतिशत प्रति वर्गमीटर होगी। तत्पश्चात अन्य वर्षों हेतु समय विस्तारण के लिए देय समय विस्तारण शुल्क की दर प्रश्नगत भूखण्ड हेतु तत्समय प्रचलित प्रीमियम दर(सम्बन्धित भूखण्ड के भूउपयोग के अनुसार लागू) का 15 प्रतिशत प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष होगी।

ख. व्यवसायिक–फैसिलिटी/ग्रुप हाउसिंग/संस्थागत (शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक) उपयोग हेतु भविष्य में हस्तान्तरित किए जाने वाले भूखण्डों में हस्तान्तरण की दिनांक से कुल 02 वर्ष का समय भूखण्ड का अनुमन्य उपयोग करने हेतु दिया जाएगा। तत्पश्चात 01 वर्ष समय विस्तारण हेतु देय समय विस्तारण शुल्क की दर प्रश्नगत भूखण्ड हेतु समय विसतारण के अनुमोदन की दिनांक को प्रचलित प्रीमियम दर(सम्बन्धित भूखण्ड के भूउपयोग के अनुसार लागू) का 10 प्रतिशत प्रति वर्गमीटर होगी। तत्पश्चात अन्य वर्षों हेतु समय विस्तारण के लिए देय समय विस्तारण शुल्क की दर प्रश्नगत भूखण्ड हेतु तत्समय प्रचलित प्रीमियम दर(सम्बन्धित भूखण्ड के भूउपयोग के अनुसार लागू) का 15 प्रतिशत प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष होगी।

3. यदि कोई आवंटी/हस्तान्तरी अपनी आवश्यकतानुसार मात्र 03 माह अथवा अधिक के समय विस्तारण हेतु आवेदन करता है तो उसे तत्समय लागू सुसंगत वार्षिक समय विस्तारण शुल्क के 25 प्रतिशत पर प्रत्येक 03 माह के लिए समय विस्तारण सक्षम अधिकारी द्वारा गुण–दोष के आधार पर प्रदान किया जा सकेगा।

Scanned with CamScanner

प्राधिकरण के औद्योगिक विकास क्षेत्रों में आवंटित भूखण्डों के समय विस्तारण हेतु कार्यालय आदेश दिनांक 18.12.2018 द्वारा लागू प्रचलित समय विस्तारण नीति उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझी जाएगी तथा उक्त नीति के अन्य प्रावधान यथावत रहेगें।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा

(संजय प्रसाद)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

सं0 /यूपीसीडा/आईए/पालिसी वाल्यूम–17 दिनांक

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मा0 अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
2. मा0 सदस्यगण, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
3. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, यूपीएसआईडीसी, मुख्यालय, कानपुर।
4. वित्त नियंत्रक, यूपीएसआईडीसी, मुख्यालय, कानपुर।
5. समस्त अनुभागाध्यक्ष, यूपीसीडा, कानपुर।
6. उप महाप्रबन्धक (औ0क्षे0)/सहा0 महाप्रबन्धक(औ0क्षे0), यूपीएसआईडीए, मुख्यालय भवन, कानपुर।
7. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी, यूपीएसआईडीए।
8. गार्ड फाइल।

(संजय प्रसाद)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Scanned with CamScanner